Members of Parliament (Travel and Daily Allowances) Rules, 1957

New Delhi, 4april, 1957

Of0nun0आ0 1148- Members of Parliament Salaries and Allowances Act, 1954 (1954Of30) section of9sub-section of(1) sub-section (1) of the said section by the Joint Committee constituted under3) In the exercise of the powers conferred on it byThe following rules were made, Which is sub-section (1) of that section by the Chairman of the Rajya Sabha and the Speaker of the Lok Sabha.िारा (4) have been duly approved and confirmed by, Published for general informationGo:-

Members of Parliament (Travel and Daily Allowances) Rules, 1957* (13rd december, 2010 as amended)

beginner

1.**Short name -** (1) These rules are the Members of Parliament (Travel and Daily Allowances) Rules, 1957Will be called.

(2) this june, 1954shall be deemed to have come into force on the first day of, but in the Official Gazette of these rulesAny claim settled before its publication may be raised again on the basis of any provision contained in these rules.Will not go:

2.**definitions**- in these rules, unless the case requires otherwise,-

(a) "Act" means the Members of Parliament Salaries and Allowances Act, 1954 (1954Of30) in modified form(1955Of9) is intended;

(b) “Controlling Officer” means any officer of the Lok Sabha Secretariat authorized by the Secretary of the Lok Sabha;or any officer of the Rajya Sabha Secretariat authorized by the Secretary of the Rajya Sabha, who, As it standsTo countersign bills regarding traveling and daily allowances of members of Lok Sabha or Rajya Sabha.be strong;

(c) “Day” means a period of twenty-four hours starting from midnight;;

(d) “Form” means any form appended to these rules;;

(e) section "Joint Committee"9treatment of (1) means the Joint Committee constituted under;

(f) “Section” means a section of the Act.

routes to travel

3. ((i) subject to the other provisions of these rules, under this Act,4sub-section (1) In clause (a) ofThe mentioned train fare is by nearest route., That is, the route by which the member can reach his destination most quickly.can reach, sit-in

When more than one route is equally short, So the fare will be calculated through the cheapest route.

(ii) Where the nearest road is temporarily closed, By the quickest way to reach thereअनतररक्त भाड़ा ददया जा सकता है।

[1] [(तीन) जहां सदस्य के ललए ननकटतम मार्ग से यात्रा करना सुविविाजनक न हो, वहां वह ककसी अन्यअधिक सुविविाजनक मार्ग से यात्रा कर सकता है और ऐसे मामले में रेल भाड़े का दहसाब उसी मार्ग से लर्ायाजाएर्ा जजससे उसने वस्तुत: यात्रा की हो:

परन्तु जहां ननकटतम मार्ग के भाड़े और सदस्य ने जजस मार्ग से वस्तुत: यात्रा की हो, उसके भाड़े में साठरूपए से अधिक अन्तर हो, वहां सदस्य को देय भाड़े का अन्तर साठ रुपए तक सीलमत होर्ा।]

[2][(चार) अधिननयम की िारा4treatment of (1) के ण्ड (क) में उजल्लखित'द्वतीय दजे का भाड़ा' Thatर्ाड़ी का ववचार ककए त्रबना जजसमें सदस्य वस्तुत: यात्रा करता है'मेल रेन' से यात्रा के ललए ननिागररत दरों केदहसाब से लर्ाया जाएर्ा।

[3][3क.[3क](1) सदस्य ककसी एयरलाइन्स में वायुयान द्वारा की ई यात्रा की बाबत यात्रा भत्ता प्राप्त करनेका हकदार है।

---

1 ददनांक 25 जनवरी, 1958 के भारत के राजपत्र, असािारण, भार्II, िंड़ 3, में प्रकालशत का0 नन0 आ0 342

2 द्वाराअन्त:स्थावपत।

ददनांक 24 नवम्बर, 1959 के भारत के राजपत्र, असािारण, भार्II, िंड़ 3, उपिंड(i)में प्रकालशत सा0 नन0 आ01285 द्वारा अन्त:स्थावपत।

(1क) िारा4sub-section (1) के िंड (ि) में या िारा5sub-section (1) के िंड (ि), और उप-िारा(2) में ननददगष्ट वायुयान के ककराए की र्णना सीिे मार्ग से की जाएर्ी:

परन्तु जहां एक से अधिक मार्ग हैं वहां वायुयान के ककराए की र्णना उस मार्ग से की जाएर्ी जजससेसदस्य अपने र्ंतव्य स्थान पर अधिक शीघ्रता से पहुंच सकता है।]

(2) जहां सीिा मार्ग अस्थाई रूप से बंद कर ददया र्या है या ककसी ववलशष्ट ददन पर कोई सेवा उपलब्िनहीं है और सदस्य ने अर्ले सस्ते से सस्ते मार्ग द्वारा यात्रा की है, वहां उस मार्ग से ववमान ककराया अनुज्ञातककया जाएर्ा।

(3) जहां ककसी सदस्य के ललए सीिे मार्ग से यात्रा करना सुवविापूणग नहीं है,वह अधिक सुवविापूणग ककसीमार्ग द्वारा यात्रा कर सकता है और ऐसी दशा में उसे ननम्नललखित के बराबर रकम अनुज्ञात की जाएर्ी - (एक) उस मार्ग से ववमान ककराया जजससे उसने वास्तववक रूप के यात्रा की है; And

(दो) सीिे मार्ग द्वारा ववमान ककराया रालश और3ि(दो सौ पचास रुपए); जो भी कम हो;

3र्[परन्तु कोई संसद सदस्य ननकटतम मार्ग से संसक्त उड़ान उपलब्ि न होने पर उसी ददन उसके र्ंतव्यस्थान पर पहुंचने में असुववि‍ा से बचने के ललए ककसी अन्य मार्ग से यात्रा करने का हकदार होर्ा, परन्तु यह तबWhen, यथाजस्थनत, लोक सभा अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापनत ने अनुज्ञा दी हो।]

(4) जहां कोई सदस्य चक्रदार वायु-एवं-रेल मार्ग द्वारा यात्रा करता है वहां उसे वायु-एवं-रेल द्वारा की ईवास्तववक यात्रा के ललए िारा4के अिीन यात्रा भत्ता या सीिे मार्ग द्वारा ववमान का यात्रा-भत्ता जो भी कम हो, अनुज्ञात ककया जाएर्ा:

परन्तु जहां की ई यात्रा का ववमान यात्रा भार् सीिे मार्ग द्वारा यात्रा की कुल दूरी के आिे से कम है, वहां ववमान द्वारा की ई वास्तववक यात्रा के ललए ववमान का यात्रा भत्ता अनुज्ञात ककया जाएर्ा और बाकी यात्रा

---

3 दद‍नांक 2 जुलाई, 1973 के भारत के राजपत्र, असािारण, भार्II, िंड़ 3, उपिंड(i)में प्रकालशत सा0 नन0 आ0 338(अ) द्वारा अन्त:स्थावपत।

3क दद‍नांक 26 अक्टूबर, 2004 के भारत के राजपत्र, असािारण, भार्II, िंड़ 3, उपिंड(i)में प्रकालशत सा0 नन0 आ0702 (अ) द्वारा अन्त:स्थावपत।

3ि दद‍नांक 25 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र, असािारण, भार्II, िंड़ 3, उपिंड(i)में प्रकालशत सा0 नन0 आ01091 (अ) द्वारा प्रनतस्थावपत।

3र् दद‍नांक 31 अर्स्त, 1998 के भारत के राजपत्र, असािारण, भार्II, िंड़ 3, उपिंड(i)में प्रकालशत सा0 नन0 आ0539 (अ) द्वारा अन्त:स्थावपत।

के ललए प्रारजम्भक स्थान से र्ंतव्य स्थान तक सीिे मार्ग द्वारा कुल रेल-मील-भत्ता ननकाल कर और उससे'प्रारजम्भक' स्थान से जहां तक सदस्य ने ववमान द्वारा यात्रा की है उस स्थान तक रेल-मील-भत्ते की कटौतीकरके, रेल द्वारा यात्रा भत्ता अनुज्ञात ककया जाएर्ा।

3घ[(5) जहां यात्रा -

(1) ककसी संसद सदस्य द्वारा िारा4, िारा5या िारा6र् के अिीन ववमान द्वारा की जाती है, संसद सदस्य के

(2) पनत या पत्नी द्वारा िारा3ङ{6ि} के अिीन ववमान द्वारा की जाती है, come onसंसद् सदस्य के पररचर द्वारा

(3) िारा6घ के अिीन ववमान द्वारा की जाती है, वहां वह संसद

सदस्य इस प्रकार की यात्रा के ववमान के दटकट का प्रनतपणग प्रस्तुत करेर्ा:

परन्तु जहां प्रनतपणग नष्ट हो र्या है या कहीं िो र्या है वहां वह सदस्य3च{संबद्ध एयरलाइंस} से ववमानयात्रा ककए जाने का प्रमाण-पत्र पेश करेर्ा।

ककसी ददन के भिये समनुज्ञेय दैननक भत्ते का अविारण करने के प्रयोजन से उसके भार्ों को धर्नने की रीनत

4. सदस्य को कतगव्य के ननलमत्त ननवास के प्रत्येक ददन के ललए आर्मन या प्रस्थान के समय परववचार ककये त्रबना दैननक भत्ता समनुज्ञेय होर्ा।

3छ[4क. प्रत्येक सदस्य इस अधिननयम की िारा4treatment of (1) के िण्ड (र्) के उपिण्ड (ii) Ofप्रयोजनों के ललए सड़क द्वारा की ई यात्रा अथवा उसके ककसी भार् के ललए3ज{सोलह रुपये}प्रनत ककलोमीटर कीदर से सड़क मील भत्ता पाने का हकदार होर्ा।

लेककन संसद सदस्य के ददल्ली जस्थत समान्य ननवास स्थान से ददल्ली ववमानपत्तन तक और ददल्लीववमानपत्तन से ददल्ली जस्थत अपने सामान्य ननवास स्थान की यात्रा के संबंि में न्यूयतम रालश120रु. होर्ी।]

3घ दद‍नांक 1 अक्टूबर, 1983 के भारत के राजपत्र, असािारण, भार्II, िंड़ 3, उपिंड(i)में प्रकालशत सा0 नन0 आ0769 (ङ) द्वारा अन्त:स्थावपत।

3ङ 26 अक्टूबर, 2004 के भारत के राजपत्र, असािारण, भार्II, िंड़ 3, उपिंड(i)में प्रकालशत सा0 नन0 आ0 702 (अ)

3च द्वारा अन्त:स्थावपत- ददनांक 7-6-2000 से प्रभावी ।

3छ 26 अक्टूबर, 2004 के भारत के राजपत्र, असाि◌ारण, भार्II, ि◌ंड़ 3, उपिंड(i)में प्रकालशत सा0 नन0 आ0 702 (अ)द्वारा

3ज प्रनतस्थावपत ।

ददनांक 25 अर्स्त, 1993 के भारत के राजपत्र, असाि◌ारण, भार्II, ि◌ंड़ 3, उपिंड(i)में प्रकालशत सा0 नन0 आ0752 (ङ) द्वारा अन्त:स्थावपत।

13 ददसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र, असाि◌ारण, भार्II, ि◌ंड़ 3, उपिंड(i)में प्रकालशत सा0 नन0 आ0 968 (अ)द्वारा प्रनतस्थावपत।

जहां सदस्य की पूरी यात्रा या उसके ककसी भार् के भिए नन:शुल्क आने-जाने की व्यवस्थाकी ई हो वहां यात्रा भत्ते की समनुज्ञेयता

5. सदस्य द्वारा भारत सरकार या ककसी राज्य सरकार अथवा ककसी स्थानीय ननधि के ि◌चग पर दी ईसवारी से की ई ककसी यात्रा या उसके ककसी भार् के संबंि◌ में ि◌ारा4के अिीन ककसी यात्रा भत्ते का दावा नहींककया जायेर्◌ा परन्तु जहां ऐसी यात्रा की अवधि ककसी ददन छ: घंटे से कम न हो वहां सदस्य केवल5रुपये25पैसे(पांच रुपये और पच्चीस पैसे) की दर से भत्ता लेने का हकदार होर्◌ा:

परन्तु यह कक इस ननयम के उपबंि◌ ककसी रेलवे से की ई यात्रा पर लार्◌ू नहीं होंर्◌े।

दटप्पणी-5.25रुपये की रालश सदस्य को इस प्रकार की यात्रा या उसके भार्◌ों में होने वाले आनुषंधर्कव्यय को पूरा करने के ललए दी जाती है और जब वह नन:शुल्क दी ई सवारी से यात्रा करता है तो अनतररक्तववमान या स्टीमर भाड़े या सड़क मील भाड़े के बदले में दी जाती है। यह भत्ता[4]{दो हजार} रुपये प्रनतददन केदैननक भत्ते के जो उसे कत्तगव्य के ननलमत्त ननवास के प्रनतददन के ललए ददया जाता है वैकजल्पक रूप में नहीं ददयाजाता।

वह स्थान, न्जससे सदस्य अपनी यात्रा आरम्भ करता है या न्जस स्थान पर वहिौटता है उसका प्रानयक ननवास-स्थान नहीं है वहां यात्रा भत्ते की समनुज्ञेयता

6. जहां संसद सदस्य के ककसी सदन के सत्र या सलमनत की बैठक में उपजस्थत होने अथवा सदस्यके रूप में अपने कतगव्यों से संबंधित ककसी अन्य कायग में सजम्मललत होने के प्रयोजन से अपने सामान्य ननवास-स्थान के अनतररक्त ककसी अन्य स्थान में यात्रा करता है या ऐसे स्थान को लौटता है, तो वह की ई वास्तववकयात्रा या अपने सामान्य ननवास-स्थान से या वहां तक की यात्रा के ललए, जो भी कम हो, यात्रा भत्ता, ले सकेर्◌ा।

[5][6क. जहां सदस्य संसद के ककसी सदन के सत्र या सलमनत की बैठक के दौरान जहां ऐसी सत्र या बैठकहो उस स्थान से सदस्य के रूप में अपने कतगव्यों से संबंधित ककसी अन्य कायग में सजम्मललत होने के प्रयोजन सेककसी अन्य स्थान तक यात्रा करता है, तो वह-

(क) ऐसे अन्य स्थान की ऐसी यात्रा के संबंि◌ में और वापसी यात्रा के ललए ि◌ारा4में ननददगष्ट दर से यात्रा भत्ता, And

---

4 13 ददसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र, असाि◌ारण, भार्II, ि◌ंड़ 3, उपिंड(i)में प्रकालशत सा0 नन0 आ0 968 (अ) द्वारा प्रनतस्थावपत।

5 ददनांक 15 लसतम्बर, 1961 के भारत के राजपत्र, असाि◌ारण, भार्II, ि◌ंड़ 3, उपिंड(i)में प्रकालशत सा0 का0 नन0 1179 द्वारा अन्त:स्थावपत।

(ि◌) अन्य स्थान पर कतगव्य के ननलमत्त ननवास की ककसी अवधि में प्रत्येक ददन के ललए ि◌ारा3में ननददगष्टदर से दैननक भत्ता लेने का हकदार होर्◌ा।]

[6][* * * * * *]

अधिननयम के अंतर्गत दैननक और यात्रा भत्तों के भुर्तान का ववननयमन करने वाि◌े सामान्य ननयम

8. प्रत्येक सदस्य ननवागधचत या नामननददगष्ट होने के बाद यथाशीध्र ननयंत्रक पदाधिकारी को अपनासामान्य ननवास-स्थान बतायेर्◌ा और इस प्रकार बताये र्ये सामान्य ननवास-स्थान के बाद में ककसी पररवतगन कीसूचना ननयंत्रक पदाधिकारी को प्रपत्र'क' में यथाशीघ्र दी जायेर्◌ी।

9. इस बात की परवाह न करते हुए कक सदस्य ने संसद के सदन में अपने उस स्थान को ि◌हण नहींककया है जजनके ललए वह ननवागधचत या नामननददगष्ट ककया र्या है, उसे सदन में अपना स्थान ि◌हण करने केप्रयोजन से की ई यात्रा के ललए यात्रा भत्ता लेने का हक होर्◌ा।

10. (1) संसद के सदन के सत्र या सलमनत की बैठक के दौरान भारत में ककसी स्थान पर जाने केfor15ददन या इससे अधिक काल की अनुपजस्थनत के ललए कोई यात्रा या दैननक भत्ता नहीं लमलेर्ा। सदस्य कीअनुपजस्थनत की अवधि अिगरात्रत्र को आरम्भ और समाप्त होने वाले ददनों के दहसाब से धर्नी जायेर्ी।

स्पष्टीकरण:यदद सदस्य15वें ददन चाहे मध्याह्न पूवग या मध्याह्न पश्चात् लौट आये तो उसकी अनुपजस्थनत15ददन से कम समझी जाएर्ी।

(2) िारा5और इस ननयम के उप-ननयम (1) में आने वाले'सत्र के दौरान' come on'सलमनत की बैठक' शब्दोंमें सत्र के प्रारम्भ से तुरन्त पहले ददन और सत्र की समाजप्त के तुरन्त बाद के तीन ददन अथवा सलमनत के कायगके प्रारम्भ से तुरन्त पहले के दो ददन और कायग के संपन्न होने के तुरन्त बाद के दो ददन की अवधि सजम्मललतनहीं है।

7[परन्तु यह कक अधिननयम की िारा5treatment of (2) के उपबन्ि के अनुसार भारत के ककसी एकस्थान से ककसी अन्य स्थान तक ककसी भी वषग में की ई7क{चौंतीस} एकल ववमान यात्राओं पर यह ननयम लार्ूनहीं होंर्े।]

---

6 ददनांक 19 अप्रैल, 1971 के भारत के राजपत्र, असाािारण, भार्II, िंड़ 3, उपिंड(i)में प्रकालशत सा0 का0 नन0 573द्वारा लोप ककया र्या।

7ि[* * * * *]

12. यदद कोई सदस्य उस स्थान से जहां संसद के सदन का सत्र अथवा सलमनत की बैठक हो रही होया सत्र या सलमनत की बैठक के अननजश्चत काल तक के ललए स्थधर्त होने और दूसरे सत्र या बैठक के प्रारम्भ होनेके बीच के अन्तराल के प्रारम्भ होने से पहले चला जाता है ओर ऐसा अन्तराल सात ददन की अवधि से अधिक नहो तो उस स्थान से उसकी अनुपजस्थनत/यथाजस्थनत, सदन के सत्र अथवा सलमनत की बैठक के दौरान मध्यवतीअनुपजस्थनत समझी जाएर्ी और तदनुसार िारा5के उपबन्ि लार्ू होंर्े।

13. ककसी ऐसे सदस्य को, जो संसद के सदन के सत्र अथवा सलमनत की बैठक के स्थान से ऐसे सत्रया बैठक के जारी रहने के दौरान चला जाता है और अपने सामान्य ननवास-स्थान को अंनतम रूप से लौटने से पहले'यथाजस्थनत' सत्र या बैठक कायग समाप्त होने के बाद सत्र या बैठक के स्थान पर लौट आता है, सामान्य ननवास-स्थान को वापसी यात्रा के ललए यात्रा भत्ता लमल सकेर्ा।

14. ककसी ऐसे सदस्य को जो उस स्थान पर जहां संसद के सदन का सत्र अथवा सलमनत की बैठकहोती है, सत्र या बैठक के स्थधर्त होने के बारे में जाने त्रबना पहुंच जाता है, यात्रा भत्ता लमल सकने के बारे में सबमामलों का, जजसमें ऐसे सदस्य के मामले भी सजम्मललत हैं जो सत्र या बैठक के अचानक स्थधर्त हो जाने के बादपहुंचते हैं, ननिागरण यथाजस्थनत लोक सभा के अध्यक्ष अथवा राज्य सभा के सभापनत द्वारा प्रत्येक मामले कीपररजस्थनतयों को ध्यान में रि कर ककया जायेर्ा।

15. जहां ककसी सदस्य के ललए भारत सरकार अथवा ककसी राज्य सरकार या ककसी स्थानीय ननधि केिचग पर नन:शुल्क भोजन और ननवास की व्यवस्था की जाये, तो उसे िारा3के अिीन जजतना दैननक भत्ता लमलसकता है उसका केवल आिा लेने का हक होर्ा। यदद सदस्य के ललए केवल भोजन या ननवास की नन:शुल्कव्यवस्था हो, तो उसे इस िारा के अिीन जजतना दैननक भत्ता लमल सकता है, उस की तीन-चौथाई लेने का हकहोर्ा।

16.(1) जब ककसी सदस्य का8[पहचान-पत्र एवं रेल का पास अथवा पनत/पत्नी का रेल पास] िो जायेऔर दूसरे पहचान-पत्र या रेल पास ददये जाने की आवश्यकता हो तो वह उन पररजस्थनतयों को बताते हुए जजनमें वह

7ददनांक 21-05-1987 के भारत के राजपत्र, असाािारण, भार्II, िंड 3, उपिंड(i)में प्रकालशत सा0 का0 नन0 520(ङ)Byअन्त:स्थावपत ककया र्या।

7कददनांक 12 ददसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र, असाािारण, भार्II, िंड 3, उपिंड(i)में प्रकालशत सा0 का0 नन0 745(ङ) द्वारा प्रनतस्थावपत ददनांक 15-09-2006 से प्रभावी।

7िननयम 11 का ददनांक 31 अक्टूबर, 1960 के भारत के राजपत्र, असाािारण, भार्II, िंड 3, उपिंड(i)में प्रकालशत सा0 का0 नन0 1280 द्वारा लोप ककया र्या।

8ददनांक 19 अप्रैल, 1971 के भारत के राजपत्र, असाािारण, भार् दो, िंड 3, उपिंड(i)में प्रकालशत सा0 का0 नन0 573 द्वाराप्रनतस्थावपत।

िोया हो, यथाजस्थनत, लोक सभा के अध्यक्ष अथवा राज्य सभा के सभापनत को आवेदन पत्र देर्ा और यदद, यथाजस्थनत, अध्यक्ष या सभापनत को समाािान हो जाये, तो सदस्य को दूसरा9[पहचान-पत्र एवं रेल पास अथवापनत/पत्नी का रेल पास] दे ददया जाएर्ा।

(2) When10[कोई सदस्य/पनत या पत्नी अपने पहचान-पत्र एवं रेल पास के त्रबना रेल द्वारा यात्रा करता है]तो उस पर ऐसी यात्रा के संबंि में सााािरण रेलवे ननयम लार्ू होंर्े।

11 [16क. (1) जहां कोई सदस्य अपना स्टीमर पास या अपनी पत्नी या अपने पनत का स्टीमर पास िोदेता है और उसकी दूसरी प्रनत उसे जारी करने की आवश्यकता होती है वहां वह यथाजस्थनत, लोक सभा के अध्यक्षया राज्य सभा के सभापनत, को जजन पनतजस्थनतयों में पास िो र्या था उन्हें स्पष्ट करते हुए आवेदन करेर्ा औरयदद, यथाजस्थनत/अध्यक्ष या सभापनत को समाािान हो जाए, तो सदस्य को दूसरा स्टीमर पास या उसकी पत्नी याउसके पनत का स्टीमर पास जारी ककया जाएर्ा।

(2) जहां कोई सदस्य या उसकी पत्नी या उसका पनत स्टीमर द्वारा स्टीमर पास के त्रबना यात्राकरता/करती है वहां वह ऐसी यात्रा के बारे में सािारण ननयमों द्वारा शालसत होर्ा/होर्ी]

17. (1) जब कभी कोई सदस्य िारा6के अिीन ददये र्ये रेलवे पास का प्रयोर् करके यात्रा करे, तोयात्रा आरम्भ करने से पहले वह प्रपत्र'ि' में ददये र्ये सदस्य के रेल यात्रा का प्रपत्र भरेर्ा और यात्रा की समाजप्तपर स्टेशन पर र्ाड़ी से उतर कर उस प्रपत्र को रेल दटकट लेने वाले कमगचारी को दे देर्ा। इस प्रयोजन के ललएप्रत्येक सदस्य को एक पुजस्तका दी जायेर्ी जजसमें मशीन से संख्यांककत प्रपत्र'ि' की पच्चीस प्रनतयां होंर्ी।

(2) जब कभी कोई सदस्य रेलवे में स्थान आरक्षक्षत कराना चाहे, तो वह प्रपत्र'र्' में ददया र्या प्रपत्रभरेर्ा।

*12[17क. जब कभी ककसी सदस्य की पनत या पत्नी13[िारा6ि] के अिीन उपबंधित रेल पास काउपयोर् करके कोई यात्रा करता है या करती है तो वह सदस्य यात्रा प्रांरभ करने से पूवग प्रपत्र ि-1में यथा

9ददनांक 19 अप्रैल, 1971 के भारत के राजपत्र, असािारण, भार् दो, िंड 3, उपिंड(i)में प्रकालशत सा0 का0 नन0 573 द्वाराप्रनतस्थावपत ।
10ददनांक 19 अप्रैल, 1971 के भारत के राजपत्र, असािारण, भार् दो, िंड 3, उपिंड(i)में प्रकालशत सा0 का0 नन0 573 द्वाराप्रनतस्थावपत ।

11ददनांक 10 मइग, 1973 के भारत के राजपत्र, असािारण, भार् दो, िंड 3, उपिंड(i)में प्रकालशत सा0 का0 नन0 243 द्वाराअन्तःस्थावपत ।

*12ददनांक 19 अप्रैल, 1971 के भारत के राजपत्र, असािारण, भार् दो, िंड 3, उपिंड(i)में प्रकालशत सा0 का0 नन0 573द्वारा अन्तःस्थावपत 21.8.1969 से प्रभावी ।
13ददनांक 10 मइग, 1973 के भारत के राजपत्र, असािारण, भार् दो, िंड 3, उपिंड(i)में प्रकालशत सा0 का0 नन0 243(ङ)

उपवखणतग रेल यात्रा प्रारूप भरेर्ा। इस प्रकार भरा र्या प्रपत्र यात्रा सामाप्त होने पर रेलर्ाड़ी से उतरने के बाद रेलदटकट लेने वाले कमगचारी को सौंप ददया जाएर्ा। इस प्रयोजन के ललए सदस्य के पनत या पत्नी के उपयोर् के ललएप्रपत्र ि-I की मशीन से संख्यांककत प्रनतयां प्राथगना करने पर, सदस्य को प्रदत्त की जाएंर्ी।]

14[17ि. जब कभी कोई व्यजक्त सदस्य के साथ उस समय यात्रा करता है, जब वह15[िारा6ि] केअिीन ददए र्ए रेल पास का उपयोर् करके रेल यात्रा करता है, तब सदस्य, प्रपत्र ि-II में यथा-उपवखणगत रेल यात्राप्रपत्र, यात्रा के प्रारम्भ से पूवग से भरेर्ा। इस प्रकार भरा र्या प्रपत्र, उस स्टेशन पर जहां रेल से उतरता है, यात्राकी समाजप्त पर रेल दटकट लेने वाले कमगचारी को ददया जाएर्ा। इस प्रयोजन के ललए एक पुजस्तका जजसमें पत्र ि-II की मशीन से संख्यांककत पच्चीस प्रनतयां होंर्ी, प्रत्येक सदस्य को दी जाएर्ी।]

16[17र्.] जब कभी कोई सदस्य, िारा6क के अिीन प्रदत्त स्टीमर पास का उपयोर् करके यात्रा करताIs, यात्रा प्रारम्भ करने से पूवग वह प्रपत्र ि-III में यथा-उपवखणगत सदस्य का स्टीमर यात्रा प्रपत्र भरेर्ा और जलयात्राकी समाजप्त का प्रपत्र को जलयान के मास्टर को देर्ा। इस प्रयोजनाथग प्रपत्र ि-III की मशीन से संख्यांककत25प्रनतयों की पुजस्तका सम्बद्ध सदस्य को प्रदत्त की जाएर्ी।

17घ. जब कभी ककसी सदस्य की पत्नी/पनत िारा6क के अिीन उपबजन्ित स्टीमर पास का प्रयोर् करकेयात्रा करती है या करता है तो वह सदस्य यात्रा प्रारंभ करने से पूवग प्रपत्र ि-IV में यथा-उपवखणगत स्टीमर यात्राप्रपत्र भरेर्ा। इस प्रकार भरा र्या प्रपत्र जलयात्रा की समाजप्त पर जलयान के मास्टर को ददया जाएर्ा। इसप्रयोजनाथग सदस्य की पत्नी या उसके पनत द्वारा उपयोर् के ललए प्रपत्र ि-IV की मशीन से संख्यांककत प्रनतयों कीपुजस्तका, प्राथगना करने पर, सदस्य को प्रदत्त की जाएर्ी।

17ङ. िारा6क के अिीन उपबजन्ित स्टीमर पास का उपयोर् करके यात्रा करते समय ककसी सदस्य केसाथ जब कभी कोई व्यजक्त हो, तो वह सदस्य यात्रा प्रांरभ करने के पूवग प्रपत्र ि-V में यथा-उपवखणगत स्टीमर यात्राप्रपत्र भरेर्ा। जलयात्रा की समाजप्त पर इस प्रकार से भरा र्या प्रपत्र जलयान के मास्टर को ददया जाएर्ा। इसप्रयोजनाथग प्रपत्र ि-V की मशीन में संख्यांककत25प्रनतयों की पुजस्तका सदस्य को दी जाएर्ी।

16क[17च.(1) यदद कोई सदस्य इस प्रकार शारीररक रूप से असमथग है कक उसे वायुयान द्वारा यात्रा मेंपररचारी की आवश्यकता है तो वह, यथाजस्थनत राज्य सभा के सभापनत या लोक सभा के अध्यक्ष को ददए जाने

द्वारा अन्तःस्थावपत।
14ददनांक 29 नवम्बर, 1971 के भारत के राजपत्र, असािारण, भार् दो, िंड 3, उपिंड(i)में प्रकालशत सा0 का0 नन0 1785द्वारा अन्तःस्थावपत।
15ददनांक 10 मइग, 1973 के भारत के राजपत्र, असािारण, भार् दो, िंड 3, उपिंड(i)में प्रकालशत सा0 का0 नन0 243(ङ)द्वारा प्रनतस्थावपत ।
16ददनांक 10 मइग, 1973 के भारत के राजपत्र, असािारण, भार् दो, िंड 3, उपिंड(i)में प्रकालशत सा0 का0 नन0 243(ङ)द्वारा अन्तःस्थावपत।

16कददनांक 2 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र, असािारण, भार् दो, िंड 3, उपिंड(i)में प्रकालशत सा0 का0 नन0 611(ङ)

वाले आवेदन के साथ डा0राम मनोहर लोदहया अस्पताल के धचककत्सकों के पैनल से एक प्रमाण-पत्र संलग्न करेर्ा, जजसमें यह सत्यावपत ककया जाएर्ा कक असमथगता स्थायी स्वरूप की है या अस्थायी स्वरूप की।

(2) यदद असमथगता अस्थायी स्वरूप की है तो ऐसी असमथगता की अवधि ववननददगष्ट की जाएर्ी और प्रारंभमें वह छह माह से अधिक की नही होर्ी।

(3) यदद सदस्य यह समळाता है कक उपननयम (2) में ननददगष्ट अवधि के पश्चात् भी उस ववमान द्वारायात्रा के ललए पररचारी की आवश्यकता है, तो वह उपननयम (1) में ननददगष्ट धचककत्सकों के पैनल के समक्ष ऐसाप्रमाण-पत्र प्राप्त करने के ललए, जजसे उपननयम (2) के उपबंि लार्ू होंर्े, पुन:उपजस्थत होर्ा।]

17[18.(1) अधिननयम की िारा4treatment of (1) में उजल्लखित प्रकार की ककसी वापसी यात्रा के ललएयात्रा भत्ते के बीजक का भुर्तान सदस्य को उसके द्वारा यात्रा ककये जाने की तारीि से सात ददन से अधिक पहलेनहीं ककया जा सकता :

परन्तु यह कक यदद सदस्य बाद में उस तारीि को यात्रा न करे तो यात्रा भत्ते की ली ई अधिम रालशतुरन्त लौटा दी जाएर्ी।

(2) दैननक भत्ते का बीजक केवल बीजक के प्रस्तुत ककये जाने की तारीि तक के ललए देय होता है।]

18[18क. जहां यात्रा या उसका कोई भार् ककसी आकजस्मक स्टीमर द्वारा ककया जाये तो सदस्य कोप्रत्येक ऐसी यात्रा या उसके भार् के ललए स्टीमर में सब से ऊंचेदजे के एक सही तीन बटे पांच भाड़े (भोजन केत्रबना) के बराबर रालश लमल सकेर्ी। जहां यात्रा या उसका कोई भार् समुर या नदी द्वारा वाष्प नौका (स्टीम लांच)या ककसी अन्य जहाज, स्टीमर के अनतररक्त से की जाए, तो सदस्य को इस प्रकार की ई प्रत्येक यात्रा या उसकेककसी भार् के ललए19(0.32पैसे प्रनत ककलोमीटर) की दर से भाड़ा ददया जा सकेर्ा।]

19क[18ि.(1) प्रत्येक सदस्य जैसे ही वह संसद के ककसी भी सदन के ललए ननवागधचत या नामननदेलशतहोता है, नामननदेलशती की ववलशजष्टयां उजल्लखित करते हुए प्रारूप ड. में नामननदेशन संसद के संबंधित सदन के

द्वारा अन्तःस्थावपत।

17ददनांक 24 जनवरी, 1958 के भारत के असािारण, राजपत्र, भार् दो, िंड 3, उपिंड(i)में प्रकालशत सा0 का0 नन0 342द्वारा प्रनतस्थावपत ।

18ददनांक 24 नवम्बर, 1959 के भारत के असािारण, राजपत्र, भार् दो, िंड 3, उपिंड(i)में प्रकालशत सा0 का0 नन0 1286द्वारा अन्तःस्थावपत।

19ददनांक 10 मइग, 1973 के भारत के असािारण, राजपत्र, भार् दो, िंड 3, उपिंड(i)में प्रकालशत सा0 का0 नन0 243(ङ)द्वारा प्रनतस्थावपत ।

19कददनांक 1 माचग, 1982 के भारत के असािारण, राजपत्र, भार् दो, िंड 3, उपिंड(i)में प्रकालशत सा0 का0 नन0 239(ङ)द्वारा अन्तःस्थावपत।

सधचवालय को देर्ा जो संदस्य की मृत्यु होने की दशा में उस सदस्य की अधिननयम और उसके अिीन बनाए एंतत्समय प्रवृत्त ननयमों के उपबंिों के अिीन संदेय और उसकी मृत्यु के समय तक संदत्त वेतन, अनतररक्त सुवविाभत्ता, दैननक भत्ता और धचककत्सा प्रनतपूनतग दावे आदद प्राप्त करने का हकदार होर्ा।

(2) उपननयम (1) के अिीन नामननदेलशती संदाय को दावा करने के पूवग उस सदन के सधचवालय को, जजसके ललए मृत सदस्य ननवागधचत या नामननदेलशत हुआ था, प्रारूप'च' में एक बन्िपत्र देर्ा।]

अधिननयम के अिीन भत्तों का दावा करने के प्रयोजन के भिये सदस्य द्वारा ददये जाने वािे प्रमाणपत्रों का प्रारूप

19. जो सदस्य इन ननयमों के अिीन ककसी यात्रा या अन्य भत्तों का दावा करे उसे ननम्नललखित प्रारूपमें एक प्रमाण-पत्र द्वारा अपने दावे की पुजष्ट करनी होर्ी, अथागत्

20[मैं प्रमाखणत करता हूं कक मेरी पूणग जानकारी के अनुसार उक्त सूचना सही है। इस त्रबल में उजल्लखितअवधि के ललए मैंने ककसी अन्य सरकारी स्रोत से यात्रा भत्ते/दैननक भत्ते के ललए दावा नही ककया है।]

21[* * * * *]

23.(1) जब कभी कोई सरकार को देय िन जैसे कक मकान का ककराया, टेलीफोन का देय िन आददसदस्य की ओर बाकी बताया जाये और सम्बजन्ित प्राधिकारी से उसके समथगन में समुधचत दावे या बीजक (त्रबल)प्राप्त हो जायें, तो ऐसे िन के बराबर की रालश सदस्य के ललए अथवा उसकी ओर से तैयार ककये जाने वाले अर्लेवेतन या यात्रा और दैननक भत्तों के बीजकों में से काट ली जायेर्ी और शेष रालश उसे दे दी जायेर्ी।

(2) सािारणतया सदस्य की ओर बाकी कोई र्ैर-सरकारी देय िन उसके वेतन या भत्तों से वसूल नहींककया जायेर्ा परन्तु जहां ऐसा देय िन उसके संसदीय कतगव्यों के दौरान उसे प्रदान की ई कुछ सेवाओं के कारणहो जैसे कक जब वह ककसी संसदीय सलमनत के साथ दौरे पर हो और इस प्रकार की सेवाओं की व्यवस्था लोक सभाया राज्य सभा सधचवालय के पदधिकाररयों की प्राथगना पर अिग-सरकारी संस्थाओं या र्ैर-सरकारी व्यजक्तयों द्वाराअथवा उनके कहने पर की ई हो और

जहां ऐसे सदस्य ने बार-बार प्राथगना ककये जाने पर भी इस प्रकार के देयिन का भुर्तान न ककया हो, तो उसकी वसूली ऐसे सदस्य के वेतन या यात्रा या दैननक भत्ते के बीजकों से की जासकेर्ी।

20ददनांक 30 अर्स्त, 1996 के भारत के राजपत्र, असाि◌ारण, भार् दो, ि◌ंड 3, उपिंड(i)में प्रकालशत सा0 का0 नन0 383(ङ)द्वारा प्रनतस्थावपत ।

21ननयम 20, 21 और 22 का ददनांक 30 अर्स्त, 1996 के भारत के राजपत्र, असाि◌ारण, भार् दो, ि◌ंड 3, उपिंड(i)Inप्रकालशत सा0 का0 नन0 383(ङ)द्वारा लोप ककया र्या ।

24. यदद इन ननयमों के ननवागचन का कोई प्रश्न उठे तो वह प्रश्न संयुक्त सलमनत को सौंपा जायेर्ा और उस पर उसका ननणगय अजन्तम होर्ा।

(एम0 14-एम0एम0/56)

प्रपत्र'क'

(ननयम8देखिए)

मैंने .... कारण (यहां कारण ललखिए) ददनांक................................से अपना प्रानयक ननवास स्थान..बदल ददया है।

आर्े से मुझे .... से यात्रा भत्ता ददया जाए।

हस्ताक्षर ....

ववभाजन संख्या...................

ददनांक.............................

22[प्रपत्र'ि']

[देखिए ननयम17(1)]

संख्या............... संख्या...............

लोक सभा सधचवालय

राज्य सभा सधचवालय

सदस्य का रेल यात्रा प्रपत्र

____

लोक सभा सधचवालय

राज्य सभा सधचवालय

सदस्य का रेल यात्रा प्रपत्र

____

पुस्तक पणग पणग

मै...से.....................................स्टेशन तक..शे्रणी* में

यात्रा कर रहा हूँ23[और मैंने अपनी यात्रा

मै...से

.....................................स्टेशन होते हुए ....शे्रणी* में

यात्रा कर रहा हूँ23[और मैंने अपनी यात्रा

ददनांक ....20.......... को एक व्यजक्त के ददनांक ....20.......... To

एक व्यजक्त के

साथ/अकेले पहले दजे में प्रारम्भ की है।मेरे पहचान-पत्र एवं रेल पास की

साथ/अकेले पहले दजे में प्रारम्भ की है। मेरे पहचान-पत्र एवं रेल पास की

संख्या...........है। संख्या................ है।

ववभाजन सं0___ सदस्य, लोक सभा ववभाजन सं0___सदस्य,लोक सभा

राज्य सभा राज्य सभा

(सदस्य के रिने के वास्ते) (यात्रा की समाजप्त पर रेल दटकट लेने वाले

*I/II/III/वातानुकूललतIII शयनयान आदद।

कमगचारी को सौंपने के वास्ते)

*I/II/III/वातानुकूललतIII शयनयान आदद।

22ददनांक 19 अप्रैल, 1971 के भारत के राजपत्र, असािारण, भार् दो, िण्ड 3, उपिण्ड(i) में प्रकालशत सा0 का0 नन0 573द्वारा प्रनतस्थावपत- 21 अर्स्त, 1969 से प्रभावी ।

23ददनांक 29 नवम्बर, 1971 के भारत के राजपत्र, असािारण, भार् दो, िण्ड 3, उपिण्ड(i) में प्रकालशत सा0 का0 नन01785 द्वारा प्रनतस्थावपत ।

24[प्रपत्र'ि'-I]

[देखिए ननयम17 (क)]

संख्या............... संख्या...............

<u>लोक सभा सधचवालय</u>

राज्य सभा सधचवालय

सदस्य के पनत या पत्नी की
रेल यात्रा का प्रपत्र

____

पुस्तक पणग

मेरी पत्नी/मेरे पनत िीमती/िी............................(प्रानयक ननवास स्थान) से ददल्ली/ नईददल्ली तक And ददल्ली/नई ददल्लीFrom................(प्रानयक ननवास स्थान) तक.........के द्वारालोक सभा/राज्य सभा के .... सत्र की बाबत................की यात्रा आरम्भ करके िेणी* में यात्रा कररही/रहा है।

मेरे पहचान-पत्र एवं रेल पास की संख्या ....है।मेरे पनत या पत्नी के रेल पास की संख्या ....है।

ववभाजन सं. ....सदस्य,<u>लोक सभा</u>

राज्य सभा

(सदस्य द्वारा प्रनतिाररत करने और उपयोर् करने केबाद लोक सभा/राज्य सभा सधचवालय को वापस करनेके ललए)

*I/II/III/वातानुकूललत III शयनयान आदद।

<u>लोक सभा सधचवालय</u>

राज्य सभा सधचवालय

सदस्य के पनत या पत्नी कीरेल यात्रा का प्रपत्र

____

पणग

मेरी पत्नी/मेरेपनतिीमती/िी............................(प्रानयक ननवास स्थान) से ददल्ली/ नईददल्ली तकAnd ददल्ली/नई ददल्ली From................(प्रानयक ननवास स्थान) तक.....

के द्वारा लोक सभा/राज्य सभा के .... सत्रकी बाबत ....की यात्रा आरम्भ करकेिेणी* में यात्रा कर रही/रहा है।
मेरे पहचान-पत्र एवं रेल पास की संख्या.............है।
मेरे पनत या पत्नी के रेल पास की संख्या.............है।
ववभाजन सं. ....सदस्य,<u>लोक सभा</u>

राज्य सभा(यात्रा की समाजप्त पर रेल दटकट लेने वालेकमगचारी को सौंपने के ललए)

*I/II/III/वातानुकूललत III शयनयान आदद।

24ददनांक 19 अप्रैल, 1971 के भारत के राजपत्र, असािारण, भार् दो, िण्ड 3, उपिण्ड(i) में प्रकालशत सा0 का0 नन0 573द्वारा अंतःस्थावपत- 21 अर्स्त, 1969 से प्रभावी ।

25[प्रपत्र'ि'-II]

[देखिए ननयम17 (ि)]

संख्या............... संख्या...............

<u>लोक सभा सधचवालय</u>

राज्य सभा सधचवालय

संसद सदस्य के साथ यात्रा करने वालेएक व्यजक्त के उपयोर् के ललए रेल

<u>लोक सभा सधचवालय</u>

राज्य सभा सधचवालय

संसद सदस्य के साथ यात्रा करने वालेएक व्यजक्त के उपयोर् के ललए रेल

यात्रा प्रपत्र
पुस्तक पणग

यात्रा प्रपत्र
पणग

प्रमाखणत ककया जाताIs कक ि◌ी/ि◌ीमती ....ने, जो मेरे साथ है, पहली ि◌ेणी में...................(स्टेशन) से.................. (स्टेशन) तक, वाया..........यात्रा की है जजसने .... 20......को यात्रा प्रारम्भ की है।

प्रमाखणत ककया जाता है कक ि◌ी/ि◌ीमती ....ने, Who मेरे with Is, पहलीि◌ेणी में...................(स्टेशन) से................ (स्टेशन)तक, वाया..........यात्रा की Is जजसने ....20.........को यात्रा प्रारम्भ की है।

मेरे पहचान-पत्र एवं रेल पास की संख्या ....है।

मेरे पहचान-पत्र And रेल पास की संख्या ....है।

ववभाजन सं.............सदस्य, लोक सभा राज्य सभा

ववभाजन सं.............सदस्य, लोक सभा राज्य सभा

(सदस्य द्वारा प्रनतिाररत करने और उपयोर् करने के बाद लोक सभा/राज्य सभा सधचवालय को वापसकरने के ललए)

(यात्रा की समाजप्त पर रेल दटकट लेने वाले कमगचारीको सौंपने के ललए)

25ददनांक 29 नवम्बर, 1971 के भारत के राजपत्र, असाि◌ारण, भार् दो, ि◌ण्ड 3, उपिण्ड(i) में प्रकालशत सा0 का0 नन01785 द्वारा अंतःस्थावपत ।

26[प्रपत्र'ि◌'-III]
[देखिए ननयम17र्]

संख्या...............

संख्या...............

लोक सभा सधचवालय
राज्य सभा सधचवालय

संसस्य का स्टीमर यात्रा प्रपत्र

लोक सभा सधचवालय
राज्य सभा सधचवालय

संदस्य का स्टीमर यात्रा प्रपत्र

पुस्तक पणग

मैं...................................ि◌ेणी (त्रबना आहार) में .... (पत्तन) From .... (पत्तन) की यात्रा कर रहा हूँ And मैंने अपनी यात्रा Of प्रारम्भ ....20.........को ककया है।

पणग

मैं................................ि◌ेणी (त्रबना आहार) में .... (पत्तन) From .... (पत्तन) की यात्रा कर रहा हूँ And मैंने अपनी यात्रा Of प्रारम्भ ....20............को ककया है।

मेरे स्टीमर पास की संख्या ....है।

ववभाजन सं0......सदस्य, people

मेरे स्टीमर पास की संख्या ....है।

ववभाजन सं0......सदस्य, people

सभा

राज्य सभा

(सदस्य द्वारा रिने और उपयोर् के पश्चात्लोक/राज्य सभा सधचवालय को वापस करने के

ललए)

सभा

राज्य सभा

(जलयात्रा की समाजप्त पर जलयान के मास्टर कोदेने के ललए)

26ददनांक 10 मइग, 1973 के भारत के राजपत्र, असाि◌ारण, भार् दो, ि◌ण्ड 3, उपिण्ड(i) में प्रकालशत सा0 का0 नन0 243 (ङ)द्वारा अंतःस्थावपत ।

27[प्रपत्र'ि◌'-IV]

[देखिए ननयम17घ]

संख्या...............

संख्या...............

लोक सभा सधचवालय

राज्य सभा सधचवालय

पत्नी या पनत का स्टीमर यात्रा प्रपत्र

लोक सभा सधचवालय

राज्य सभा सधचवालय

पत्नी या पनत का स्टीमर यात्रा प्रपत्र

पुस्तक पणग

मेरी पत्नी ि◌ीमती/मेरा पनत ि◌ी ....

.... ि◌ेणी (त्रबना आहार) In .... (सदस्य का प्रानयक ननवासस्थान/भारत की भूलम में ननकटतम पत्तन) से.......................... (भारत की भूलम में ननकटतमपत्तन/सदस्य का प्रानयक ननवास स्थान) को............ को यात्रा प्रारम्भ करते हुए लोकसभा/राज्य सभा के .... सत्र के सम्बन्ि◌ मेंयात्रा कर रही है/कर रहा है।

मेरे स्टीमर पास की संख्या................. है। मेरीपत्नी/मेरे पनत के स्टीमर पास की संख्या

.... है।

ववभाजन सं0........सदस्य,लोक सभा

राज्यसभा

(सदस्य द्वारा रिने और उपयोर् के पश्चात् लोक सभा/राज्य सभा सधचवालय को वापस करने के ललए)

पणग

मेरी पत्नी ि◌ीमती/मेरा पनत ि◌ी .... ि◌ेणी (त्रबना आहार)

में .... (सदस्य का प्रानयकननवास स्थान/भारत की भूलम में ननकटतमपत्तन) से .... (भारत की भूलममें ननकटतम पत्तन/सदस्य का प्रानयक ननवासस्थान) को .... को यात्रा प्रारम्भ करतेहुए लोक सभा/राज्य सभा के .... सत्र केसम्बन्ि◌ में यात्रा कर रही है/कर रहा है।

मेरे स्टीमर पास की संख्या................. है।मेरी पत्नी/मेरे पनत के स्टीमर पास की संख्या

.... है।

ववभाजन सं0........सदस्य,लोक सभा

राज्यसभा

(जलयात्रा की समाजप्त पर जलयान के मास्टर को देने के ललए)

27ददनांक 10 मइग, 1973 के भारत के राजपत्र, असाि◌ारण, भार् दो, ि◌ण्ड 3, उपिण्ड(i) में प्रकालशत सा0 का0 नन0 243 (ङ)द्वारा अंतःस्थावपत ।

28[प्रपत्र 'ि◌'-V]

[देखिए ननयम (17ङ)]

संख्या...............

संख्या...............

लोक सभा सधचवालय

राज्य सभा सधचवालय

संसद सदस्य के साथ यात्रा करने वाले

एक व्यजक्त के उपयोर् के ललए स्टीमर यात्रा प्रपत्र

पुस्तक पणग

यह प्रमाखणत ककया जाता है कक िाी/िाीमती......................................., जो मेरे साथ यात्राकर रहा है/रही है, उसने .... (पत्तन)से .... (पत्तन) को (त्रबना आहार)ननम्नतम िेणी में ....20......... को यात्राप्रारम्भ करते हुए यात्रा की है।

मेरे स्टीमर पास की संख्या................है।

ववभाजन सं0..............सदस्य,लोक सभा राज्य सभा

(सदस्य द्वारा रिने और उपयोर् के पश्चात् लोकसभा/राज्य सभा सधचवालय को वापस करने केललए)

लोक सभा सधचवालय
राज्य सभा सधचवालय

संसद सदस्य के साथ यात्रा करने वाले एकव्यजक्त के उपयोर् के ललए स्टीमर यात्रा प्रपत्र______________________ पणग

यह प्रमाखणत ककया जाता है कक िाी/िाीमती......................................., जो मेरे साथ यात्राकर रहा है/रही है, उसने ....(पत्तन) से .... (पत्तन) को (त्रबनाआहार) ननम्नतम िेणी में ....20..........

को यात्रा प्रारम्भ करते हुए यात्रा की है।

मेरे स्टीमर पास की संख्या................है।

ववभाजन सं0..............सदस्य,लोक सभा राज्य सभा

(जलयात्रा की समाजप्त पर जलयान के मास्टरको देने के ललए)

28ददनांक 10 मइग, 1973 के भारत के राजपत्र, असािारण, भार् दो, िण्ड 3, उपिण्ड(i) में प्रकालशत सा0 का0 नन0 243 (ङ)द्वारा अंतःस्थावपत ।

[प्रपत्र 'र्']
[देखिए ननयम 17(2)]
लोक सभा
राज्य सभा

सेवा में,

स्टेशन सुपररटेंडेंट/मास्टर
....

कृपया ददनांक .... को र्ाड़ी संख्या....................... से मेरी ....से........................ तक यात्रा के ललए .... दजे का एक बथग आरक्षक्षत कर दीजजए।

हस्ताक्षर.......................................
सदस्य,लोक सभा
राज्य सभा
पहचान-पत्र एवं रेल पास संख्या..........
ववभाजन संख्या.............................
पता ....
....
....

29[प्रपत्र'घ']

प्रस्थान और वापसी यात्रा का प्रमाण पत्र

मैं प्रमाखणत करता हूँ कक मेरी पूणग जानकारी के अनुसार उक्त सूचना सही है। इस त्रबल में उजल्लखितअवधि के ललए मैंने ककसी अन्य सरकारी स्रोत से यात्रा भत्ते/दैननक भत्ते के ललए दावा नहीं ककया है।

हस्ताक्षर ....
नाम ....
सदस्य, लोक सभा
पहचान पत्र संख्या................

29ददनांक30 अर्स्त, 1996 के भारत के राजपत्र, असािारण, भार् दो, िण्ड 3, उपिण्ड(i) में प्रकालशत सा0 का0 नन0 383 (ङ)द्वारा प्रनतस्थावपत ।

*[प्रपत्र'ड.']

[देखिए ननयम18ि (1)]

नामननदेशन प्रारूप

(दो प्रनतयों में भरा जायेर्ा)

मैं, ... सदस्य, लोक सभा/राज्य सभा ननम्नललखित व्यजक्त/व्यजक्तयों को नाम-ननदेलशत करता हूँ जो मेरे पररवार का सदस्य है/के सदस्य हैं और उसे/उन्हें लोक सभा सधचवालय/राज्य सभासधचवालय द्वारा मुझे शोध्य तथा असंदत्त वेतन/**अनतररक्त सुववि भत्ता/यात्रा/दैननक भत्ता/धचककत्सा प्रनतपूनतगदावे और कोई अन्य भत्ते तथा दावे मेरी मृत्यु की दशा में, प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करता हूँ।

मूल नाम-ननदेलशती			आनुकजल्पक नाम-ननदेलशती		
नाम-ननदेलशती Of Name Andपता	सदस्य से संबंि	आयु	नाम-ननदेलशतीका नाम औरपता	सदस्य से संबंि	आयु

तारीि ....20........साक्षी के हस्ताक्षर स्थान ....

1. ....

नाम.......................................

पता..

....

2. ....

नाम.......................................

पता...

सदस्य के हस्ताक्षर.......................नाम...क्रम संख्या................................

दटप्पण:- सदस्य को सलाह दी जाती है कक यह उसके नाम-ननदेशती के दहत में होर्ा कक नाम-ननदेशन पत्रों तथा संबंधित सूचनाओं और अलभस्वीकृनतयों की प्रनतयां सुरक्षक्षत अलभरक्षा में रिी जाएं ताककसदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में वे दहताधिकाररयों को प्राप्त हो सकें।

*ददनांक 1 माचग, 1982 के भारत के राजपत्र, असाािारण, भार् दो, िण्ड 3, उपिण्ड(1) में प्रकालशत सा0 का0 नन0 239 (ङ)द्वारा अंतःस्थावपत ।

**अब ननवागचन क्षेत्र भत्ता ।

*[प्रपत्र 'च']

[देखिए ननयम 18ि (2)]

िोक सभा/राज्य सभा के मृत सदस्य को शोध्य वेतन, अनतररक्त सुववि भत्ता यात्राऔर दैननक भत्ता तथाधचककत्सा प्रनतपूनतग दावा अन्य भत्ते तथा दावों की बकाया रकम िेने के भिए िनतपूनतग बंिपत्र का प्रपत्र ।**

िी ....अपनी मृत्यु के समय लोक सभा/(मृतक का नाम) राज्य सभा के सदस्य थेऔर उनको............रुपये (रु0..........) की रकम (उनके उक्त पद की बाबत वेतन, अनतररक्त सुववि भत्ता, यात्रा and दैननक भत्ता And धचककत्सा प्रनतपूनतग दावों Of ललए) शोध्य थी And आबद्ध व्याजक्त..

(दावेदार का नाम)

(जजसे इसमें इसके पश्चात् "दावेदार" कहा र्या है) उक्त रकम की बाबत िी..

(मृतक का नाम)के वाररस के रूप में उक्त रकम का हकदार होने का दावा करता है/करती हैं ककन्तु उसमें उक्त िी....................कीसंपनत और चीजबस्त जजसके अन्तर्गत ....रुपये (रु0.......................) (मृतक का नाम) की उक्त रकम है, प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र अलभप्राप्त नहीं ककया है और दावेदार ने लोक सभासधचवालय/राज्य सभा सधचवालय का समािान कर ददया है कक वह पूवोक्त रकम का/की हकदार है और यह ककयदद दावेदार से उक्त िी........................ (मृतक का नाम)............................... की संपजत्त और चीजबस्त कीबाबत (जजसके

अन्तर्गत..................रु0) (रु0....................) की उक्त रकम है, प्रशासन पत्र या उत्तराधिकारप्रमाण-पत्र पेश करने की अपेक्षा की जायेर्ी तो इसमें असम्यक ववलम्ब और कष्ट होर्ा।

और लोक सभा सधचवालय/राज्य सभा सधचवालय यह चाहता है कक दावेदार को उक्त रकम का संदाय करददया जाए ककन्तु इससे पहले कक दावेदार को उक्त रकम का संदाय ककया जाए वह एक प्रनतभू/दो प्रनतभुओं सदहतएक बंिपत्र उन सभी दावों मद्दे जो लोक सभा सधचवालय/राज्य सभा सधचवालय की क्षनतपूनतग करने और उसेक्षनतपूनतगAnd

हाननरदहत रिनेOffor हों, नन्षाददत करे Who

उक्ती..को उपरोक्त रूप से शोध्य ककया जाए।

(मृतक व्यजक्त का नाम)

इस ववलेि से सब को ज्ञात हो कक मैं, ... (दावेदार का पूरा नाम और ननवास स्थान कापता) (मृतक से संबंि कधथत करें) और मैं/हम.................... (प्रनतभू या प्रनतभुओं के पूरे नाम) जो उसकी ओर सेप्रनतभू हैं, भारत के राष्रपनत के प्रनत............ (रु0................) की रकम का राष्रपनत को संदाय करने के ललए

*ददनांक 1 माचग, 1982 के भारत के राजपत्र, असाििारण, भार् दो, िण्ड 3, उपिण्ड(1) में प्रकालशत सा0 का0 नन0 239 (ङ)द्वारा अंतःस्थावपत ।

**अब ननवागचन क्षेत्र भत्ता ।

दृढ़तापूवगक आबद्ध है। इस रकम का संदाय पूणगत: और सही रूप में करने के ललए हम में से प्रत्येक इस ववधि द्वारास्वयं को अपने वाररसों नन्षादकों, प्रशासकों और समनुदेलशयों को संयुक्तत: और पृथकत: दृढ़तापूवगक आबद्ध करतेहै:

परन्तु यह कक यदद दावेदार को..............रुपये (रु0.............) की उक्त रकम का संदाय कर ददया जाताहै तो दावेदार या उसका/उसके प्रनतभू ककसी अन्य व्यजक्त/व्यजक्तयों द्वारा (...........रुपये) (रु0..........) को पूवोक्तरकम या उसके ककसी भार् की बाबत लोक सभा सधचवालय/राज्य सभा सधचवालय के ववरुद्ध दावा ककए जाने कीदशा में उक्त रकम या उसके ऐसे भार् का जजसका व्यजक्त/व्यजक्तयों द्वारा दावा ककया जाए; संदाय करेंर्े याकरवायेंर्े या लोक सभा सधचवालय/राज्य सभा सधचवालय की, पूवोक्त रकम और उसके संबंि में ककए ऍ ककसीदावे के पररणामस्वरूप उपर्त िचे से संबंधित सभी दानयत्वों से अन्यथा उसकी क्षनतपूनतग करेंर्े और उसकोहाननरदहत रिेंर्े तो उपरललखित बंिपत्र या बाध्यता शून्य हो जाएर्ी अन्यथा यह पूणगतया प्रवृत और बलशील बनीरहेर्ी।

उक्त ललखित बंिपत्र के साक्ष्यस्वरूप हम

साक्षी (1) (उपरललखित नालमत दावेदार)

साक्षी (2) (उपरललखित नालमत प्रनतभू)

साक्षी (3) (उपरललखित नालमत प्रनतभू)

ने आज तारीि..............20........ को इस पर अपने हस्ताक्षर ककए है।

[एफ011/3/एम0एस0ए0/80]